



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 26 दिसम्बर, 2008 ई0
पौष 05, 1930 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 215/XXXVI (3)/28/2008

देहरादून, 26 दिसम्बर, 2008

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ‘उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) (संशोधन) विधेयक, 2008’ पर दिनांक 24 दिसम्बर, 2008 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 12, वर्ष 2008 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) (संशोधन)
अधिनियम, 2008
(अधिनियम संख्या 12, वर्ष 2008)

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 का उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रोत्तर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम को संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) (संशोधन) अधिनियम, 2008 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 52 में उपधारा (3) का अन्तःस्थापन

2. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा 52 में उपधारा (2) के पश्चात् एक नई उपधारा (3) निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्:-
“(3) उप धारा (1) और उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, जलकर और सीवर कर को समाप्त अथवा स्थगित कर सकेगी तथा बकाये की धनराशि भी माफ कर सकेगी।”

आज्ञा से,

राम दत्त पालीवाल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of The Uttarakhand (The Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975) (Amendment) Bill, 2008 (Uttarakhand Adhinyam Sankhya 12 of 2008) :-

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on December 24, 2008.

No. 215/XXXVI(3)/28/2008

Dated Dehradun, December 26, 2008

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARAKHAND (THE UTTAR PRADESH WATER SUPPLY AND SEWAGE ACT, 1975) (AMENDMENT) ACT, 2008
(Act No. 12 of 2008)

Further to amend the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975) (Adaptation and Modification Order, 2002) Adaptation and Modification Order, 2007 in the context of the State of Uttarakhand

AN

ACT

Be it enacted by the Fifty Ninth Year of the Republic of India as follows:--

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975) (Amendment) Act, 2008.
(2) It shall come into force at once.

Insertion of a new sub-section (3) in section 52

2. In the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975) (Adaptation and Modification Order, 2002) Adaptation and Modification Order, 2007, a new sub-section (3) shall be inserted after sub-section (2) in section 52, namely:--
“(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) and sub-section (2), the State Government may abolish or suspend water tax and sewer tax by Notification and may also waive the amount of arrears.”

By Order,

RAM DATT PALIWAL,
Secretary.

उत्तराखण्ड शासन

पेयजल अनुभाग-1

अधिसूचना

13 फरवरी, 2009 ई०

संख्या 172/उन्तीस(1)/2009-(59 पे०)/04-उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल संभरण सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 52 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल अधिसूचना जारी होने की तिथि से सम्पूर्ण राज्य में लागू जल कर एवं सीवर कर को समाप्त करने तथा उपभोक्ताओं पर बकाया जल कर एवं सीवर कर की धनराशि को माफ किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

एम०एच० खान,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 172/xxix(1)/2009-(59 PAY)/04, dated February 13, 2009 for general information :

NOTIFICATION

February 13, 2009

No. 172/xxix(1)/2009-(59 PAY)/04—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 52 of the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975) (Amendment) Act, 2008, the Governor is pleased to accord sanction to abolish Water Tax and Sewer Tax applicable in the State and waive off the amount of arrears of the consumers with effect from the date of issue of the notification.

By Order,

M. H. KHAN,
Secretary.

टिप्पणी—राजपत्र, दिनांक 07-3-2009, भाग-1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

पी०एस०यू० (आर०ई०) 01 पेयजल/178-13-3-2009-50 (कम्प्यूटर/रीजियो)